न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 20/2016 अपील

1. सुशीला पिता नन्दा प्रजापत निवासी बांगरेडा, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. उदी पिता नन्दा प्रजापत निवासी बांगरेडा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. शांति पिता नन्दा प्रजापत, निवासी बांगरेडा, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. नर्बदा पत्नी नन्दा प्रजापत, निवासी बांगरेडा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– अपीलाण्ट

//बनाम//

1. तहसीलदार निम्बाहेड़ा।
2. सुरेश पिता नन्दा कुम्हार, निवासी बांगरेडा, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. बाबुलाल पिता नन्दा कुम्हार, निवासी बांगरेडा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– रेस्पोण्डेण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 734 दिनांक 15.06.1992 ग्राम पंचायत बांगरेडा मामादेव बाबत।

निर्णय दिनांक 12.02.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बांगरेडा में अपीलाण्ट के पिता नन्दा पिता चतरभुज कुम्हार की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात स्थित होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान अपीलाण्ट काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट के पिता नन्दा जी का देहान्त हो जाने के बाद आराजीयात का उनके वारिसों के नाम इन्तकाल खोला गया जो सिर्फ नन्दा जी के दोनों पुत्रों सुरेश व बाबुलाल के नाम पर ही खोला गया जो गलत होकर खारीज होने योग्य है। अपीलार्थी नन्दा की जाईन्दा औलाद हैं तथा उक्त आराजीयात में अपीलाण्ट का भी बराबर हक हिस्सा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं दिया और ना ही पूर्ण जांच की इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। पूर्व में अपीलाण्ट को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं थी। पहली बार दिनांक 03.05. 2016 को नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई तथा जानकारी होते ही यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अन्दर मियाद हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपील अन्दर मियाद स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णण नामान्तरकण संख्या 734 दिनांक 15.06.1992 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 3 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अपील को मियाद बाहर बताते हुए खारीज करने का निवेदन किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नामान्तरकरण की प्रति अनुसार विवादित भूमि मौजा बांगरेडा की साबिक खाता संख्या 161 की आराजीयात कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण तथा खाता सख्या 162 की आराजी नं. 204 रकबा 3 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा नन्दा पिता चत्रभुज कुम्हार का दर्ज रेकार्ड था। प्रश्नगत नामान्तरकरण नन्दा की विरासत का होकर नन्दा के वारिसान पुत्रों रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुआ है। जबकि अपीलाण्ट स्वयं को नन्दा की पुत्रियां व पत्नी बताती है। चुंकि पुत्रियां व पत्नी भी विधिक वारिस होती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नन्दा के सभी विधिक वारिसान को कोई विधिवत सूचना पत्र जारी होना भी प्रकट नहीं होता है जिससे अपीलाण्ट को समय पर जानकारी नहीं होने का तथ्य भी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अपीलाण्ट ग्रामीण अंचल की अनपढ़ महिलाऐं हैं जिन्हें हस्ताक्षर करना भी नहीं आता। अनपढ़ महिलाओं को कानूनी बारिकीयों की जानकारी नहीं होना स्वीकार योग्य है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट के मृतक नन्दा की पुत्रियां व पत्नी होने की स्थिति में विरासत में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। नन्दा के समस्त वारिसान की जांच की जाकर विरासत का निर्णय किया जाना उचित है। अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बांगरेडा का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 734 दिनांक 15.06.1992 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार निम्बाहेड़ा को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते हैं कि मृतक नन्दा के सभी वारिसान की उचित जांच कर, सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नन्दा की विरासत का नामान्तरकरण निर्णित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 12.02.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official